अपीलीय आपराधिक

पी. एस. पट्टर से पहले, जे.

जोगिंदर सिंह,---------- अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,----------प्रतिवादी।

करोड़। 1972 का ए नंबर 1111.
25 जनवरी 1973.

भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) - धारा 497 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V) - धारा 4 (एल) (एच) और 199 - पति द्वारा अपने खिलाफ बलात्कार के अपराध के संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना पत्नी-अभियुक्त ने अपराध के लिए प्रयास किया, लेकिन पाया कि उसने अपराध नहीं किया है-ऐसे अभियुक्त-क्या उसे पति की शिकायत के बिना दंड संहिता की धारा 497 के तहत व्यभिचार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है-समर्थन में अदालत में पति का बयान पुलिस मामले का-क्या शिकायत के रूप में माना जा सकता है।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के अनुसार, कोई भी अदालत महिला के पति द्वारा की गई शिकायत के अलावा, धारा 497, भारतीय दंड संहिता के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है। धारा ने एक वैधानिक रोक निर्धारित की, जिसमें अदालत को महिला के पति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर, धारा

497, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संज्ञान लेने से रोक दिया गया। धारा 199 में 'शिकायत' शब्द संहिता

की धारा 4(एल)(एच) में परिभाषित शिकायत तक ही सीमित है। जब एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार के संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन मुकदमे में अपराध साबित नहीं पाया जाता है, तो आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत विशिष्ट शिकायत के बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पति। पुलिस केस के समर्थन में पति के बयान को ऐसी शिकायत नहीं माना जा सकता.

(पैरा 14).

श्री जे.एम.टंडन, सत्र न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील,

अम्बाला, दिनांक 19 अक्टूबर, 1972, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया।

अपीलार्थी की ओर से कृपाल सिंह, अधिवक्ता।

रानी वच्छेर. राज्य प्रतिवादी के लिए वकील।

निर्णय

पट्टर, जे.-यह अंबाला की तहसील और जिले के गांव मोहरा के निवासी प्रीतम सिंह के बेटे जोगिंदर सिंह द्वारा सत्र न्यायाधीश, अंबाला के 19 अक्टूबर, 1972 के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील है, जिसके द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत भी दोषी ठहराया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया.

(2) इस मामले के तथ्य यह हैं कि श्रीमती। दया अभियोजक अमर नाथ (पी.डब्ल्यू. 4) की पत्नी है, जो गांव मोहरा, जिला अंबाला का निवासी है। श्रीमती दया मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अमर नाथ अपने घर से लगे गांव मोहरा में दुकान चलाता है। अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि 5 अप्रैल, 1972 को लगभग 2.00 बजे। अमर नाथ, पी.डब्लू., अपनी पत्नी श्रीमती को छोड़कर खरीदारी करने शाहबाद गए थे। दया घर पर. शाम करीब छह बजे वह शाहबाद से लौटे। और घर के परिसर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। उसके घर के परिसर की चारदीवारी केवल 4 फीट ऊंची है और गली में खड़े होकर उसने जोगिंदर सिंह को बरामदे में चारपाई पर अपनी पत्नी के साथ संभोग

करते देखा। यह देखकर वह यासीन, पी.डब्ल्यू. की आटा चक्की पर गया। जो उसके घर से सटा हुआ है जहां उसे यासीन, पी.डब्लू. मिला। और उनके भतीजे, वेद प्रकाश (पी.डब्ल्यू. 2)। उसने उन्हें उपरोक्त तथ्य बताए1 और फिर तीनों व्यक्ति अमर नाथ के घर आए और देखा, आरोपी श्रीमती के साथ यौन संबंध बना रहा था। दया, चारदीवारी के पार. वे घर के परिसर में दीवार पर कूद गए और उन्हें देखकर आरोपी लकड़ी की सीढ़ी के माध्यम से घर की छत पर चला गया और फिर घर के दूसरी तरफ खोले में कूद गया।

(3) अमर नाथ ने रात 8.00 बजे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई- दरयाई लाई, सहायक उप-निरीक्षक, जो उस समय पुलिस स्टेशन, सदर अम्बाला में तैनात थे, रात 9.30 या 10.00 बजे गाँव गए। और गवाहों के बयान दर्ज किये. जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त का चालान कर दिया गया और वह सत्र न्यायालय में अपना मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध था और उसे ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इससे व्यथित होकर जोगिंदर सिंह ने यह अपील दायर की है कि निचली अदालत का फैसला गलत और ग़लत है और इसे रद्द किया जा सकता है और उन्हें बरी किया जा सकता है।

(4) डॉ. बी.डी. गोयल, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, अम्बाला शहर ने 10 अप्रैल 1972 को दोपहर 12.20 बजे आरोपी जोगिंदर सिंह की जांच की। पुलिस के अनुरोध पर और उसने पाया कि उसका जननांग पूरी तरह से विकसित और स्वस्थ था और उसे किसी लड़की या महिला के साथ यौन संबंध बनाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था।

(5) डॉ. (श्रीमती) कमलेश दत्ता, सिविल अस्पताल, अम्बाला (पी.डब्ल्यू. 3)। श्रीमती की जांच की गई दया अभियोजक 6 अप्रैल, 1972 को दोपहर 12.45 बजे। और उसे अपने शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। उनकी राय में श्रीमती. दया पिछले करीब 8 साल से शादीशुदा महिला थी और उसे शारीरिक संबंध बनाने की आदत थी. वह यह नहीं बता सकी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं. दो योनि स्वाब लिए गए और उन्हें वीर्य परीक्षण के लिए रासायनिक परीक्षक, करनाल के पास भेजा गया। महिला डॉक्टर ने रसायन परीक्षक की रिपोर्ट देखने के बाद राय दी कि श्रीमती. दया ने सम्भोग किया.

(6) डॉ. सीता राम गोयल (पी.डब्ल्यू. 3), सिविल अस्पताल, अंबाला शहर ने श्रीमती की जांच की। 20 जुलाई, 1972 को पुलिस के अनुरोध पर दया को पता चला कि वह क्रोनिक सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थता का एक रूप है। उनके अनुसार उसके पास तर्क करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह कार्यों के परिणामों को नहीं समझ सकती थी। वह ठीक से बयान नहीं दे पाईं. उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.डब्लू. हैं। 6 /ए /एल, और पी.डब्लू. 6/ए/2.

(7) मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए केवल दो गवाहों की जांच की और वे पीड़िता के पति अमर नाथ पी.डब्ल्यू. और यासीन (पी.डब्ल्यू. 5) हैं, जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। वेद प्रकाश (पी.डब्लू. 6), जो घटना का तीसरा चश्मदीद गवाह था, को केवल जिरह के लिए पेश किया गया था और उसने मुख्य परीक्षण में कोई बयान नहीं दिया। अभियुक्त के वकील द्वारा जिरह के दौरान उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। गवाहों की जांच से संबंधित कानून साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 और 138 में निहित है। उस अधिनियम में किसी गवाह को उसके मुख्य परीक्षण के बिना जिरह के लिए पेश करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है और यह प्रथा उस अधिनियम की धारा 138 का विरोध करती है। एक गवाह को उसके मुख्य परीक्षण के बिना जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, -केसर सिंह और अन्य बनाम राज्य (1) के मामले में। इसलिए, सत्र न्यायाधीश को वेद प्रकाश को जिरह के लिए पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

(8) उपरोक्त अभियोजन कहानी अमर नाथ (पी.डब्लू. 4) और यासीन (पी.डब्लू. 5) द्वारा शपथ लेकर सुनाई गई थी: कथन प्रदर्शनी (पी.डब्ल्यू. 5) के समान थी। एक्ज़िबिट पी.सी. का बयान भी ऐसा ही था. घटना के बाद अमर नाथ द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था और यह अदालत में दिए गए उसके बयान की पुष्टि करता है। इन गवाहों के बयान सुसंगत हैं और किसी भी बिंदु पर कोई विसंगति नहीं है। वे जिरह की कसौटी पर बहुत अच्छे से खरे उतरे। यासीन (पी.डब्लू. 5) की आटा चक्की अमर नाथ (पी.डब्लू. 4) के घर से सटी हुई है: आरोपी को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाते देखने के बाद, अमर नाथ (पी.डब्लू. 4) यासीन (पी.डब्लू. 5) की बगल की आटा चक्की में गया जहां वेद प्रकाश के अलावा वह मौजूद था और उसने उन्हें उपरोक्त तथ्य बताए और फिर तीनों अमर नाथ के घर आए और आरोपी को श्रीमती के साथ संभोग करते देखा। दया. वे दीवार फांदकर अमर नाथ के घर के आंगन में घुस गए, तभी आरोपी सीढ़ी के रास्ते उनके घर की छत पर चढ़ गया और वह उन्हें पकड़ नहीं सका। यह स्वीकार किया गया है कि अमर नाथ के घर और यासीन की आटा चक्की के सामने वाली सड़क एक सड़क है और अमर नाथ के घर के आंगन की बाहरी दीवार केवल चार फीट ऊंची है और सड़क पर जाने वाला व्यक्ति अमर नाथ का बरामदा देखिए, जहां आरोपी श्रीमती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। दया. अमर नाथ और यासीन की आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी और इस मामले में उन्हें झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं था। अमर नाथ अपनी पत्नी के सम्मान से जुड़े मामले में आरोपी को झूठा फंसाने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे।

(9) दलील दी गई कि यासीन और आरोपी के परिवार के बीच दुश्मनी थी क्योंकि. उन्होंने 1947 में भारत के विभाजन के बाद यासीन के परिवार के घर पर कब्ज़ा कर लिया था। यासीन, पी.डब्लू. को एक सुझाव दिया गया था। जिरह में कहा कि क्या उनके मकान पर आरोपी के परिजनों ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने मकान वापसी के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने अनभिज्ञता जताई। 18 अक्टूबर, 1972 को यासीन की उम्र, जैसा कि उसने सत्र न्यायाधीश, अंबाला की अदालत में अपना बयान दर्ज करते समय दिया था, 28 वर्ष थी, और इसलिए! 1947 में देश के विभाजन के समय उनकी आयु मात्र तीन वर्ष थी अत: उन्हें उपरोक्त सुझाव में उल्लिखित तथ्यों के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं हो सकी। इस कथित दुश्मनी को साबित करने के लिए फ़ाइल में कोई सबूत नहीं है। उपरोक्त कारणों से यह माना जाता है कि इन दोनों गवाहों के बयान सुसंगत और सत्य हैं।

(10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपी ने श्रीमती के साथ संभोग किया था। दया उसकी सहमति के बिना. अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों ने कहा है कि अपराध के समय आरोपी ने श्रीमती के महीने पर हाथ डाला था। दया, और वह प्रतिरोध की पेशकश कर रही थी। यासीन (P.W. 5) श्रीमती के अनुसार. दया अपने हाथ-पैर हिला रही थी और प्रतिरोध कर रही थी अगर ऐसा था तो उसके शरीर पर कुछ चोटें जरूर आई होंगी। लेकिन लेडी डॉक्टर कमलेश दत्ता (पी.डब्लू: 3) ने कहा कि उन्हें अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि जब अभियोजक श्रीमती। उनके द्वारा दया की जांच की गई, उनके पति अमर नाथ भी उनके साथ थे और कुछ विवरण अभियोजक द्वारा और कुछ उनके पति द्वारा उन्हें दिए गए थे। डॉ. बी.डी. गोयल पी.डब्लू. के अनुसार, श्रीमती: दया बोल सकती थी और वह दिखने में सामान्य पाई गई थी और ऐसे मरीज़ सामान्य दिनचर्या के काम करने में सक्षम होते हैं, सिवाय इसके कि जब वे तीव्र हमले से प्रभावित हों।

(11) सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले के पैरा नंबर 11 में टिप्पणी की कि उनकी राय थी कि यह गलत था कि अभियोक्ता ने आरोपी को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति दी थी और अभियोक्ता, जो एक मरीज थी क्रोनिक सिज़ोफ्रेनिया उसकी सहमति देने में असमर्थ थी। यह साबित करने की जिम्मेदारी कि आरोपी ने श्रीमती के साथ यौन संबंध बनाए। दया को उसकी सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध, जैसा कि

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में निर्धारित है, अभियोजन पक्ष में है। लेकिन इस तथ्य को साबित करने के लिए फ़ाइल में

कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। निचली अदालत की उपरोक्त राय सही नहीं है और अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है। यह सर्वविदित है कि अनुमान और अनुमान सकारात्मक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते। अभियोक्त्री श्रीमती. दया यह साबित करने के लिए सबसे अच्छी गवाह थी कि क्या आरोपी ने उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। लेकिन अभियोजन पक्ष को जो कारण सबसे अच्छे से मालूम हैं, उन कारणों से उसे पेश नहीं किया गया है। अगर वह डॉक्टरों के सामने पेश होकर तर्कसंगत जवाब दे पाती तो कोर्ट में भी उसकी जांच हो सकती थी। वह अपराध साबित करने के लिए सबसे अच्छी गवाह थी।

(12) अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अमर नाथ के घर के आंगन की चारदीवारी केवल चार फीट ऊंची थी और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति उस बरामदे को देख सकते थे जहां कथित अपराध किया गया था और इसलिए, श्रीमती की सहमति के बिना आरोपी अपराध नहीं कर सकता था। दया, नहीं तो श्रीमती का शोर सुनकर कई लोग उधर आकर्षित हो जाते। दया. हालाँकि, अभियुक्त के विरुद्ध संदेह कितना भी बड़ा क्यों न हो और न्यायाधीश का नैतिक विश्वास और दोषसिद्धि कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब तक कि अभियुक्त का अपराध कानूनी साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उचित संदेह की संभावना से परे स्थापित नहीं हो जाता, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक अपराध के लिए. समग्र रूप से विचार करने पर अभियोजन की कहानी सच हो सकती है, लेकिन "सच्चा हो सकता है" और "सच्चा होना चाहिए" के बीच, यात्रा करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी होगी और इस दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा कानूनी, विश्वसनीय और निर्विवाद तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले साक्ष्य। अभियुक्त की बेगुनाही की प्रारंभिक धारणा होती है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त तक अपराध पहुंचाना होता है। इसके अलावा आरोपी हर उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इन सभी कारणों से, यह माना जाता है कि यह किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित नहीं है, कि आरोपी द्वारा श्रीमती के साथ यौन संबंध बनाया गया था। दया उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध। नतीजतन, किसी भी उचित संदेह से परे, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध स्थापित नहीं किया जाता है। हालाँकि, यह साबित हो गया है कि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत अपराध का दोषी है, और वह धारा 497, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का भी दोषी है।

(13) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा 497, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संज्ञान केवल तभी लिया जा सकता है जब महिला के पति द्वारा शिकायत की जाती है जैसा कि आपराधिक संहिता की धारा 199 के अनुसार आवश्यक है। प्रक्रिया, और यह कि पति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी और

परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

इस तर्क के समर्थन में उन्होंने तेज सिंह बनाम राज्य (2) के रूप में रिपोर्ट की गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के अधिकार पर भरोसा किया, जिसमें तथ्य यह थे कि आरोपी पर धारा 366 और 376, भारतीय दंड संहिता और सत्र के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायाधीश ने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत मामला स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन मुकदमे में पाया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत मामूली अपराध बनाया गया था। उस मामले में पति ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। निम्नलिखित बिंदु के लिए डिवीजन बेंच को भेजा गया था

फ़ैसला: -

“ऐसे मामले में जहां पति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं की है, तो आरोपी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, यदि मामला इसके तहत हो।” मुकदमे में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 बनाई गई है।

विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया। इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया: -

“आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 199 में 'शिकायत' शब्द उस संहिता की धारा 4 में परिभाषित शिकायत तक ही सीमित है और अधिक उदार व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। जब 'शिकायत' शब्द को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित किया गया है, तो इसकी व्याख्या उस संहिता में उस अर्थ के रूप में की जानी चाहिए और इसलिए, धारा 199 और उपधारा दोनों में (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 में, 'शिकायत' शब्द का अर्थ केवल मजिस्ट्रेट को की गई शिकायत ही हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 4 (एल) (एच), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जहां संदर्भ या विषय वारंट में निहित है, के अनुसार 'शिकायत' की परिभाषा को अधिक उदार व्याख्या देने के लिए न्यायालय हमेशा खुला है। उस अनुभाग में होने वाला क्वालीफाइंग

क्लॉज 'जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई अलग इरादा प्रकट न हो' उस व्याख्या को संभव बनाता है। हालाँकि, मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था जो 'शिकायत' शब्द की परिभाषा की अधिक उदार व्याख्या की आवश्यकता हो।

“धारा 4(एल)(एच) के तहत एक 'शिकायत' की आवश्यक सामग्री, जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई अलग इरादा प्रकट न हो, ये हैं (1) मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप में लगाया गया आरोप, (2) एक के साथ संहिता के तहत कार्रवाई करने को ध्यान में रखते हुए, और (3) यह बताते हुए कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने अपराध किया है।"

(14) मैं इस फैसले में निर्धारित कानून से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के अनुसार, महिला के पति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर, अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है। यह धारा एक वैधानिक रोक निर्धारित करती है, जो अदालत को महिला के पति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर, धारा 497, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 199 में 'शिकायत' शब्द, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 4(एल)(एच) में परिभाषित शिकायत तक ही सीमित है। धारा 4(एल)(एच) के तहत शिकायत के आवश्यक तत्व हैं-

(1) कि आरोप मजिस्ट्रेट को मौखिक रूप से या लिखित रूप में लगाए गए हैं; दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से;

(2) यह कहते हुए कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है; और

(3) इसमें किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वर्तमान मामले में, अभियोजक श्रीमती के पति अमर नाथ। दया ने अपीलकर्ता जोगिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था, और उसने (यानी अमर नाथ ने) मुकदमे के दौरान अदालत में समर्थन में एक बयान दिया था। पुलिस मामला, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 4 (एल (एच), आपराधिक प्रक्रिया संहिता में परिभाषित शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है, और आरोपी को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। , यदि मुकदमे में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा

497 के तहत मामला बनता है। इसलिए, धारा 376, भारतीय दंड संहिता के तहत जोगिंदर सिंह अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और उसे उस अपराध से बरी कर दिया जाता है।

हालाँकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत उनकी सजा अच्छी तरह से आधारित है और कायम है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत उसे दी गई सजा अत्यधिक नहीं है और उसे बरकरार रखा गया है।

एन.के.एस.

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लि एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा